

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- जीतू कुलहरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 274/2022

दायर दिनांक 07.07.2022

वादी

1. मजीद खां पुत्र मनोहर खां उम्र 62 वर्ष जाति शैरानी निवासी शैरानी आबाद, तहसील डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. अजीज खां पुत्र मनोहर खां उम्र 65 वर्ष
2. अब्दुल हमीद पुत्र मनोहर खां उम्र 55 वर्ष
3. सकीना पुत्री मनोहर खां उम्र 70 वर्ष
4. बिस्मिल्लाह पुत्री मनोहर खां उम्र 60 वर्ष
5. मकसुदा पुत्री मनोहर खां उम्र 58 वर्ष
6. मेहमुदा बेगम पुत्री मनोहर खां उम्र 57 वर्ष समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
7. मो0 अली पुत्र कासम खां उम्र 65 वर्ष
8. ऐमना पत्नि मुमताज खां उम्र 70 वर्ष
9. दीन मो0 पुत्र मुमताज खां उम्र 35 वर्ष
10. चांद मो0 पुत्र मुमताज खां उम्र 30 वर्ष
11. ईजाज खां पुत्र हासम खां उम्र 70 वर्ष
12. बदरुदीन पुत्र जमाल खां उम्र 50 वर्ष
13. शहादत अली पुत्र जमाल खां उम्र 45 वर्ष
14. मोहब्बत अली पुत्र जमाल खां उम्र 40 वर्ष
15. ऐमना पुत्री जमाल खां उम्र 55 वर्ष
16. जैना पुत्री जमाल खां उम्र 50 वर्ष समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
17. यूको बैंक शाखा शैरानी आबाद
18. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी बंटवारा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

उपस्थित:-

श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी

-:: अंतिम निर्णय ::-

दिनांक 12.10.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वादी व प्रतिवादीगण के पैतृक खातेदारी के खेत खसरा सं0 241 रकबा 4.7500 हैक्टे0, खसरा सं0 171 रकबा 0.0400 हैक्टे0 गैर मुमकीन रास्ता, खसरा सं0 172 रकबा 0.0500 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 173 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गैर मुमकीन कुण्ड, खसरा सं0 174 रकबा 1.5000 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 175 रकबा 0.0400 हैक्टे0 गैर मुमकीन रास्ता व खसरा सं0 176 रकबा 2.4400 हैक्टे0 बारानी 2 कुल खसरे 7 कुल रकबा 8.8300 हैक्टे0 वाके सरहद डाबगांव पटवार हल्का लोरोली कलां भू0 अभि0 नि0 क्षेत्र केराप तहसील डीडवाना उक्त खसरान में वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 ता 16 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 05.08.2022 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।



(d)
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 1879 दिनांक 30.09.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् को सुना गया जिसमें पक्षकारान् बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1879 दिनांक 30.09.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

--: आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादीगण सं० 01 ता 16 के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त खेत खसरा सं० 241, 171, 172, 173, 174, 175, 176 वाकै सरहद डाबगांव की भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1879 दिनांक 30.09.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1879 दिनांक 30.09.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(जीतू कुलहरी)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को सरे इजलास सुनाया

गया।

(जीतू कुलहरी)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

डिक्री वमुकददमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्या दीवानी)

अज अदालत:— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बड़जालास : जीवू कुलहरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 274 / 2022

दायर दिनांक 07.07.2022

वादी

प्रतिवादीगण

मजीद खां पुत्र मनोहर खां उम्र
62 वर्ष जाति शैरानी निवासी
शैरानी आबाद, तहसील
डीडवाना जिला-नागौर,
राजस्थान।

1. अजीज खां पुत्र मनोहर खां उम्र 65 वर्ष
2. अब्दुल हमीद पुत्र मनोहर खां उम्र 55 वर्ष
3. सकीना पुत्री मनोहर खां उम्र 70 वर्ष
4. बिस्मिल्लाह पुत्री मनोहर खां उम्र 60 वर्ष
5. मकसुदा पुत्री मनोहर खां उम्र 58 वर्ष
6. मेहमुदा बेगम पुत्री मनोहर खां उम्र 57 वर्ष

समस्त जाति शैरानी निवासीगण शैरानी
आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर
राज0

बनाम

7. मो0 अली पुत्र कासम खां उम्र 65 वर्ष
8. ऐमना पति मुमताज खां उम्र 70 वर्ष
9. दीन मो0 पुत्र मुमताज खां उम्र 35 वर्ष
10. बांद मो0 पुत्र मुमताज खां उम्र 30 वर्ष
11. ईजाज खां पुत्र हासम खां उम्र 70 वर्ष
12. बद्रुदीन पुत्र जमाल खां उम्र 50 वर्ष
13. शहादत अली पुत्र जमाल खां उम्र 45 वर्ष
14. मोहब्बत अली पुत्र जमाल खां उम्र 40 वर्ष
15. ऐमना पुत्री जमाल खां उम्र 55 वर्ष
16. जैना पुत्री जमाल खां उम्र 50 वर्ष समस्त
जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद
तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
17. यूकों बैंक शाखा शैरानी आबाद
18. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी बंटवारा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

दिनांक 12.10.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कलई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, हख दावा डिक्री सादिर कर, वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 16 के सयुक्त खातेदारी कब्जा कारत खेत खसरा सं0 241, 171, 172, 173, 174, 175, 176 वाकै सरहद डाबगांव की भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1879 दिनांक 30.09.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार कारतकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1879 दिनांक 30.09.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिल्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.10.2022 को सरे इजलास
जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(नागौर)

1

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)